

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-02/रेगु-02-800-10/2024-2135/ई.आ. /पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

गन्ना के सामयिक खपत हेतु चीनी मिलों द्वारा किये गये अनुरोध एवं संबंधित ईख पदाधिकारियों एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श एवं समीक्षोपरान्त गन्ना पेराई वर्ष 2025-26 के लिए नीचे वर्णित चीनी मिल को उनके नाम के सामने अंकित ग्राम में गन्ना उठाव हेतु अतिरिक्त पथ क्रय केन्द्र आवंटित किया जाता है तथा विनिर्दिष्ट मात्रा एवं अनुपात में गन्ना खरीद करने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० स०	चीनी मिल का नाम	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	अतिरिक्त आवंटित क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना नं.	आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. मे)
1	2	3	4	5	6	7
01.	मेसर्स मगध सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० इकाई- सिधवलिया, गोपालगंज।	पश्चिम चम्पारण	ठकराहा	उमा टोला	433	0.30

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-02-800-10/2024-2135/ई.आ. /पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि-महाप्रबन्धक/कार्यपालक अध्यक्ष, मेसर्स मगध सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० इकाई-
सिधवलिया/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/विशेष ईख
पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-02-800-10/2024-2135/ई.आ. /पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।